


(57)

लिंक कोर्ट रीवा

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर

म०प्र०



R. 5202-1117

Rs-30/-

शिवमसिंह तनय श्री स्व. राजकिशोर सिंह निवासी शारदा कालोनी जिला सतना म०प्र०

निगराकार/आवेदक

बनाम

अधिकांश श्री. आर. लाल
कोर्ट फीस 15-5-17

M
बल्लभ मण्डल
राजस्व मण्डल म० प्र०
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1. म०प्र० शासन द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना
2. मोतीलाल गोयल तनय श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल
3. श्रीमती राजबाला गोयल पत्नी श्री मोतीलाल गोयल दोनो निवासी हरियाणा भवन पन्ना नाका सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०

गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार
महोदय वृत्त रैगांव तहसील रघुराजनगर जिला
सतना म०प्र० के राजस्व प्रकरण क्र.-435 / 2015
-16 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2016 एवं
राजस्व प्रकरण क्र०-135 / 2016-17 में पारित
आदेश दिनांक 13.10.2016
निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता
1959

मान्यवर,

यह कि निगराकार/आवेदक जिस आदेश से दुखित होकर यह निगरानी प्रकरण श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है उसके संक्षिप्त मे वाक्यत इस प्रकार से है कि:-
निगराकार/आवेदक ग्राम मझबोगवां की आराजी नं०- 18/2क रकवा 0.016 हे., आराजी क्रमशः-----2


S

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5202-II/17

जिला-सतना

शिवम सिंह / शासन, मोतीलाल गोयल वगैरः

| (1) | (2) | (3) |
|----------|--|-----|
| 18.07.17 | <ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सिदिस्य</p> | |

